कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर (म0प्र0)
डी0डी0ओ0 कोड– 3301803002

क्रमांक 02 /नग्रानि./लेखा/2023 सागर, दिनांक 6/01/2023

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क,
संचालनालय,
बाणगंगा रोड रोशनपुरा चौराहा,
टी0टी0 नगर के पास,
भोपाल (म0प्र0)

विषयः– निविदा सूचना के प्रकाशन के संबंध में।
संदर्भः– संचालनालय,नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक/4254/नग्रानि/सा./2022 भोपाल, दिनांक 17.10.2022।

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, कार्यालय के परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहन किराये पर लिया जाना है। कृपया संलग्न निविदा सूचना सागर के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– प्रकाशित की जाने वाली निविदा सूचना।

(आर0के0पाण्डेय)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर

पृ0क0 /नग्रानि/लेखा/2023 सागर, दिनांक /01/2023

प्रतिलिपिः–

श्री अमित कुमार गजभिये, संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी,नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय भोपाल की ओर सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु अपलोड करवाने का कष्ट करें।

Sd

(आर0के0पाण्डेय)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर

AEO 6/1/23

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर म0प्र0
डी0डी0ओ0 कोड– 3301803002

क्रमांक 02 / नग्रानि. / लेखा / 2023 सागर, दिनांक 6/ 01 / 2023

विज्ञप्ति

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर पता–मधुकरशाह वार्ड मनोरमा कालोनी सागर के कार्यालय की परिवहन व्यवस्था के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा दिनांक 16.01.2023 सायं 5:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा जमा की जायेगी, निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नही होगी।

निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में रूपये 200.00 (शब्दो में दो सौ रूपये मात्र) ई–चालान साईबर ट्रेजरी शीर्ष क्रमांक 0217–60–800–0171 अन्य प्राप्तियॉ में जमा कर प्राप्त की जा सकती है। एवं वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें, इस कार्यालय में कार्यालय समय में अवलोकन की जा सकती है। एवं संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की website:–mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है।

6/01/2023

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर (म0प्र0)

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तेः–

1. वाहन किराये पर देने हेतु अनुबंध के साथ रूपये 5000/– की प्रतिभूति एफ.डी./किसान विकास पत्र /इंदिरा विकास पत्र के रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी। अनुबंध पूर्ण होने पर यह वापिस लौटा दिया जायेगा। लेकिन शर्तो का उल्लंघन होने पर यह राशि जब्त कर ली जावेगी।
2. यह अनुबंध ग्यारह माह के लिए मान्य होगा, एवं उसे अधिकतम तीन वर्ष तक कार्यालय प्रमुख द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।
3. परिवहन नियमों का उल्लघंन कर वाहनों के संचालन या किसी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी वैधानिक स्थितियों में किसी भी प्रकार का जुर्माना की राशि भरने या अन्य कोई कार्यवाही होने के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा ।
4. वाहन मध्यप्रदेश राज्य में आर.टी.ओ कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होनी चाहिए। वाहनो के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नही होना चाहिए।
5. अनुबंध अवधि के दौरान यदि पेट्रोल/डीजल के दामो में वृद्धि होती है, तो निविदा में दी गयी राशि एवं अवधि के दौरान अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी।
6. वाहन पूरे माह के लिए हर दिन बिना किसी अवकाश के सामान्यतः प्रातः 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक कुल 10 घंटे तक के लिए देना होगा रात को वाहन सेवा अवधि में वाहन कार्यालय में रहेगा, तथा वाहन खराब होने अथवा मरम्मत के लिए ले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उसी मॉडल का दूसरा वाहन उपलब्ध कराये जाने पर ही वाहन को छोड़ा जायेगा। वाहन मरम्मत का सम्पूर्ण व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस पर कार्यालय कोई अतिरिक्त राशि नही देगा।
7. वाहनों के किलोमीटर की गणना संबंधित उपयोगकर्त्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा विधिवत रूप से भरी गई लॉगबुक में हस्ताक्षर उपरांत ही मान्य होगा।
8. सभी वाहनो की कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा, प्रदूषण मानक प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कमर्शियल उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/प्रमाणपत्र , रोड टैक्स सर्विस टैक्स अदा करने उसे अद्यतन रखने की जिम्मेदारी एजेंसी/ट्रेवल्स/वाहन स्वामी की होगी।
9. वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन जब्त होने की दशा में वाहन मालिक को सूचना देकर मासिक किराये का भुगतान कर दिया जायेगा।
10. यदि किसी विशेष कारणों से वाहन अथवा चालक किसी दिन उपलब्ध नहीं होता तो ऐसे हर दिवस की अनुपलब्धता के लिये देय राशि में से दोगुना प्रतिदिन की राशि निकाल कर उसकी कटौती कर दी जायेगी। लेकिन बार बार पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा।
11. वाहन में हमेशा टूल्स एवं स्टेपनी होना आवश्यक है। वाहन हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए एवं वाहन के चारों टायर टयूब अच्छी क्वालिटी व सुरक्षा के मानक के अनुसार होना अनिवार्य है।
12. वाहन किराये पर लेने हेतु तय नियमों एवं शर्तो में संशोधन का अधिकार कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सागर का होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र सागर माना जायेगा।
14. निविदा के साथ उपरोक्त वर्णित नियम एवं शर्तें वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होंगे।
15. निविदा कि साथ रूपये 2000/–(शब्दो में रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफट या नगद कार्यालय में जमा करना होगा, जो निविदा खुलने पर लौटाई जायेगी।
16. कार्य क्षेत्र संचालनालय नगर तथा गाम निवेश भोपाल द्वारा निर्देशित रहेगा, जिसके लिये वाहन किराये पर लिया जा रहा है।

(आर0के0पाण्डेय) 6/01/2023
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय सागर